



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926

No. 451]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 674(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा के पुनर्गठन के संबंध में सरकार के निर्णय के फलस्वरूप केन्द्रीय श्रम सेवा के नाम से संगठित समूह "क" केन्द्रीय सेवा का गठन करते हैं। यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. एम-15011/3/97-के.श.से.-I]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, 14 October, 2004

G.S.R. 674(E).—Consequent upon the decision of the Government to restructure the Central Labour Service, the President is pleased to constitute an Organized Group 'A' Central Service by the name of Central Labour Service. This will come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. M-15011/3/97-C.L.S.-I]

J. P. PATI, Jt. Secy.

15/03/2010

सुरेन्द्र कुमार/Surendra Kumar
अनुभाग अधिकारी/Section Officer
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9 012004